न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस
राजस्व विविध प्रकरण सं0 17/2021 GCMS No 2021/108
दायरा तिथि : 06.07.2021
आदेश तिथि : 31-10-22

प्रार्थी :–

रामचन्द्र पुत्र हकमारामजी जाति गरूडा
निवासी डूँगली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थी :–

1. धीरजकुमार पुत्र बाबुलालजी जाति सोनार
निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. श्रीमति सुकीदेवी पत्नि कसारामजी जाति जणवा चौधरी
निवासी रडावा बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक : 31-10-22

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी रामचन्द्र पुत्र हकमारामजी जाति गरूडा निवासी डूँगली तहसील बाली ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोटबालियान तहसील बाली के खसरा नंबर 1139 रकबा 1.1900 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अप्रार्थी धीरजकुमार पुत्र बाबूलालजी जाति सोनार निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान) खातेदारी भूमि ग्राम कोटबालियान तहसील बाली के खसरा नंबर 1138 रकबा 0.64 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल मेंसे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में **लाल रंग** से दर्शित अ,ब,स,द ट्रेक से 30 फीट चौडा नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही हितबद्ध अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाली एवं निरीक्षक भू0अ0 मुण्डारा ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/ 2022/2481 दिनांक 05.08.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की:–

1. यह हैं कि ग्राम कोटबालियान तहसील बाली के खसरा नंबर 1139 रकबा 1.19 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि श्री रामचन्द्र पु हकमाराम जाति गरूडा निवासी डूँगली तहसील बाली के नाम की खातेदारी दर्ज है। खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते क अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है, किन्तु वर्तमान में आवेदक आवागमन के लिए **IOC** डिपो की दीवार के पास के खसरा नंबर 1135 गै.मु. वाली मौके पर संकरी होने से करीब 20 फीट वाली रास्ता के रूप में काम में आ रही है।
2. यह हैं कि प्रस्तावित रास्ता के लिए खसरा नंबर 1138 रकबा 0.64 हैक्टर की बजाय वर्तमान खसरा नंबर 1315/1302 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नंबर 1316/1302 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नंबर 1300/1138 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नंबर 1307/1301 रकबा 0.12 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1306/1301 रकबा 0.03 हैक्टर के रूप में मृल खसरा नंबर 1138 रकबा 0.64 हैक्टर का बेचान होने से छोटे–छोटे टुकडे हो गये है।
3. यह हैं कि प्रार्थी रामचन्द्र के द्वारा खसरा नंबर 1144 व 1145 से लगते हुए रास्ता चाहा गया है वह खसरा नंबर वर्तमान में खसरा नंबर 1315/1302 है जिसका रकबा 0.07 हैक्टर ही है अर्थात् उक्त खसरा नंबर मेंसे रास्ता दिया जाता है तो कुल लम्बाई में 44 मीटर एवं चौडाई में 5 मीटर कुल 220 वर्गमीटर भूमि रास्ता में जाने से शेष रकबा 0.048 हैक्टर भूमि ही रहती है।

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

तथा खसरा नंबर 1315/1302 का खसरा नंबर 1139 की तरफ 12 मीटर ही चौडाई है एवं 12 मीटर
मेंसे 5 मीटर रास्तें में जाने से शेष 7 मीटर चौडाई में ही भूमि रहती है। इस प्रकार प्रार्थी के खसरा
नंबर 1315/1302 रकबा 0.07 हैक्टर के अलावा के अलाया इनके पास वाले खसरा नंबर 1316/1302
कुल रकबा 0.20 हैक्टर मेंसे रास्ते की मांग किया जाना उचित रहेगा।
4. यह हैं कि खसरा नंबर 1138 कुल रकबा 0.64 हैक्टर के खातेदार धीरजकुमार पुत्र बाबुलाल जाति
सोनार निवासी बाली ने भूमि बेचान कर दी है। अतः प्रकरण में वर्तमान स्थिति में रास्ता दिया जाना
उचित नहीं है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सबंध में अप्रार्थी को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी धीरजकुमार का
नोटिस तामील कुनिन्दा की इस रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ कि उसके द्वारा भूमि का बेचान कर दिया है।
अप्रार्थी द्वारा भूमि का बेचान कर देने से प्रार्थी पक्ष को खरिदकर्ता को पक्षकार बनाये जाने के निर्देश
दिये गये। जिसकी पालना में प्रार्थी ने खरिदकर्ता सुकीदेवी पत्नि कसाराम जाति जणवा चौधरी को
पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.2021
को स्वीकार करते हुये नवसृजित अप्राथी सुकीदेवी की तलबी के आदेश दिये गये। अप्रार्थी सुकीदेवी को
न्यायालय द्वारा जारी नोटिस तामील के बाद दिनांक 28.06.2022 को अधिवक्ता श्री संतोष शर्मा द्वारा
अण्डर टेंकिग लेते हुये दिनांक 04.10.2022 को आपत्तियॉ पेश की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा
आपत्ति में **वर्णित किया :कि प्रार्थी** द्वारा खसरा नंबर 1138 मेंसे रास्ता खसरा नंबर 1144 व 1145 के
लगते हुये चाहा गया। खसरा नंबर 1138 का बेचान हो जाने के बाद उक्त कृषि भूमि का बंटवाडा होने
से पर खसरा नंबर 1315/1302, खसरा नंबर 1316/1302, खसरा नंबर 1300/1338, खसरा नंबर
1307/1301, खसरा नंबर 1306/1301 बने है। वर्तमान में मौका व रेकर्ड की स्थिति में परिवर्तन होने
से प्रार्थी को खसरा नंबर 1138 मेंसे चाहा गया रास्ता निरीक्षक भू0अ0 मुण्डारा की रिपोर्ट के अनुसार
उपलब्ध नहीं हो सकता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता के नये खसरा नंबर 1315/1302 रकबा 0.07
हैक्टर है, जो कि दिलीपकुमार पुत्र पुखराज जाति जणवा चौधरी निवासी बोया की खातेदारी भूमि है एवं
खसरा नंबर 1316/1302 रकबा 0.20 हैक्टर अप्रार्थी सुकीदेवी पत्नि कसाराम की खातेदारी कृषि भूमि
है।
: यह हैं कि प्रार्थी की खातेदारी खसरा नंबर 1139 के उत्तर में खसरा नंबर 1136, 1137 व दक्षिण में
कृषि भूमियॉ खसरा नंबर 1140, 1141/1, 1141, 1142, 1143, 1151 व अन्य कृषि भूमियॉ आई हुई है।
पश्चिम की ओर इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन का डिपो आया हुआ है। जिसकी दीवार पक्की बाण्ड्री से
बनी हुई है। उसके लगते हुये **वाली जिसमें पानी का बहाव नहीं होने से** वर्तमान में आवागमन हेतु
रास्ता करीबन 20 फीट चौडाई में आया हुआ है। वाली के दुसरी तरफ पूर्व में खसरा नंबर 1136 व
1137 की कृषि भूमि में वाली के लगती हुई पत्थर की पट्टीया(छीणे) खडी लगी हुई है। कृषि भूमि
खसरा नंबर 1139 में आवागमन हेतु रास्ता (वैकल्पिक साधन) उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 1135 मेंसे
वर्तमान में विद्यमान है जिस रास्ते से उपरोक्त कृषि भूमियो में आवागमन होता हैं। उक्त खसरा नंबर
1135 से विद्युत विभाग द्वारा आगे स्थिति कृषि भूमियों में बिजली के लिये पोल खडे कर बिजली आगे
पहुॅचाई गई है। अपनी आपत्तियों के समर्थन में मौके के फोटो चित्र भी पेश किये गये।
: यह हैं कि कृषि भूमि खसरा नंबर 1139 में आवागमन हेतु रास्ता वर्तमान में खसरा नंबर 1135 में से
होकर मौजूद है। तथा उक्त रास्ते से अन्य कृषि भूमियो के खातेदारो एवं प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी
भूमि में आवागमन के लिये उपयोग किया जा रहा है ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,
1955 की धारा 251(ए) तथा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम 2012 के नियम 69 के
अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने की मांग की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने व इस सबंध में अप्रार्थी पक्ष द्वारा आपत्ति
प्रस्तुत करने से उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री अमृत परिहार द्वारा बहस में
प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि ग्राम
कोटबालियान के खसरा नंबर 1139 की भूमि में वर्तमान में आवागमन के लिये कोई रेकर्डेड रास्ता नहीं
होने से प्रार्थी द्वारा धारा 251(ए) के तहत नया रेकर्डेड मार्ग उपलब्ध कराये जाने बाबत् आवेदन पत्र
प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि खसरा नंबर 1138 के खातेदार धीरजकुमार द्वारा भूमि का
बेचान कर देने से न्यायालय आदेशानुसार खरीदकर्ता सुखीदेवी पत्नि कसाराम को पक्षकार बनाने के
लिये भी आवेदन किया गया, तथा न्यायालय द्वारा खरीदकर्ता को पक्षकार भी बनाया जा चुका हैं। इस
संबध में तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा चुकी है। अप्रार्थी सुखीदेवी
की आपत्तियो को विधि विरूद्व बताते हुये दलील दी कि आपत्ति में उल्लेखित खसरा नंबर 1135 राजस्व
रेकर्ड में वाला दर्ज है, जो कि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है,उसमे से रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने से
ही प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 1138 मेंसे रास्ते बाबत् आवेदन किया। जिससे आपत्ति सारहिन होने से
आपत्तिया खारिज करते हुये आवेदक को रास्ता नियमों के तहत उपलब्ध कराये जाने की दलील दी
गई।

पेज लगातार............03

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण सं0 17/2021 GCMS No 2021/108
अनवान रामचन्द्र बनाम धीरजकुमार वगैरा
अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील अप्रार्थी श्री संतोष शर्मा द्वारा बहस में प्रस्तुत आपत्तियों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 1138 मेंसे रास्ता खसरा नंबर 1144 व 1145 के लगते हुये चाहा गया, जबकि खसरा नंबर 1138 का बेचान हो जाने के बाद कृषि भूमि का बंटवाडा होने पर खसरा नंबर 1315/1302, 1316/1302, 1300/1338, 1307/1301, 1306/1301 बने है। जिसमें से रास्ते हेतु चाही गई भूमि के खसरा नंबर 1315/1302 रकबा 0.07 हैक्टर बने है, जो कि दिलीपकुमार पुत्र पुखराज जाति जणवा चौधरी निवासी बोया की खातेदारी भूमि है एवं खसरा नंबर 1316/1302 रकबा 0.20 हैक्टर अप्रार्थी सुकीदेवी पत्नि कसाराम की खातेदारी की कृषि भूमि है। इसके साथ ही दलील दी गई कि धारा 251(ए) के तहत किसी खातेदार को नया रास्ता तभी दिया जा सकता है, जब उसके खातेदारी भूमि तक पहुँच का कोई विकल्प न हो। उक्त प्रकरण में तो प्रार्थी के पास पहले से खसरा नंबर 1135 मेंसे होकर अपनी खातेदारी भूमि तक पहुँच का मार्ग उपलब्ध है, जिस तथ्य को निरीक्षक भू0अ0 मुण्डारा ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार किया है, तथा अप्रार्थी द्वारा आपत्ति के साथ प्रस्तुत मौके के फोटो चित्रो से भी प्रमाणित है। इस प्रकार प्रार्थी के पास उसकी खातेदारी भूमि में आने जाने का विकल्प खसरा नंबर 1135 मेंसे होकर मौजुद होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी नियम 69 के अनुसार खारिज किये जाने की दलील दी गई।

उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए) विधि के प्रावधानो का अध्ययन किया गया। पत्रावली व उपल्बध रेकर्ड का भी आद्योपान्त अध्ययन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से जाहिर हैं कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम कोटबालियान के खसरा नंबर 1139 रकबा 1.19 हैक्टर में वर्तमान में आवागमन के लिये रास्ता ग्राम कोटबालियान के खसरा नंबर 1135 मेंसे होकर करीब 20 फीट चौडाई में रास्ता मौके पर मौजूद है, जिस रास्ता का प्रार्थी एवं अन्य कृषि भूमियो के खातेदार उपयोग कर रहे है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए) में विधि के प्रावधानो अनुसार वैल्पिक साधन का अभाव होने पर ही नया मार्ग उपलब्ध कराया जा सकता है। जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 251(ए) खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

दिनांक 31-10-22

कर्मांक/कोर्ट(रास्ता)/2022/3731-34
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 मुण्डारा
3. पटवारी हल्का, कोटबालियान
4. आवेदक रामचन्द्र पुत्र हकमारामजी जाति गरूडा निवासी डूँगली तहसील बाली को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner